जीएसटी में यूपी के 82 हजार छोटे व्यापारियों को राहत

अमर उजाला ब्यूरो

जीएसटी काउंसिल के फैसलों से प्रदेश के कारोबारियों की राह सुगम

कम से कम पांच हजार ट्रांसपोर्टरों को मिली घोषणा फॉर्म से मुक्ति

लखनऊ। जीएसटी काउंसिल द्वारा हाल में ही किए संशोधनों से यूपी के करीब 82 हजार कारोबारियों को राहत मिलेगी। मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के जीएसटी कमेटी चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन व्यापारियों ने 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न नहीं भरा था, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। अब 31 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल करने पर उनका पंजीयन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा।

प्रदेश के करीब पांच हजार ट्रांसपोर्टरों को भी राहत मिली है। पिछले साल से ट्रांसपोर्टरों पर नियम लागू किया गया था कि पंजीकृत व्यापारी से जीएसटी वसूलकर जमा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। कारोबारी भाषा में इसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। इसके लिए हर वित्तीय वर्ष से पहले उसे घोषणा फॉर्म भरना पड़ता था। अब घोषणा फॉर्म की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ट्रांसपोर्टर जब चाहे तब इसे शुरू कर सकता है।

व्यवसायिक परिसर के सत्यापन के समय मालिक के मौजूद रहने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ये फैसला भी ईमानदार व्यापारियों को जांच के खौफ से बाहर निकालने के लिए किया गया है। वहीं, टैक्स चोरी पर रोक के लिए आधार सत्यापन के बाद भी कारोबारी का भौतिक सत्यापन होगा। अभी तक निदेशक या प्रोपराइटर का आधार सत्यापित होने पर भौतिक स्थल का सत्यापन नहीं होता था। पान मसाला, तंबाकू, सुपारी, लोहा जैसे उत्पादों का कारोबार करने से पहले विभाग हर हाल में भौतिक सत्यापन करेगा, तभी पंजीकरण होगा। ये फैसला टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया है क्योंकि 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स चोरी इन्हीं उत्पादों में होती है। कंपनी के निदेशक द्वारा अपनी संपत्ति कंपनी को ही किराये पर देने के मामले में भी बड़ी राहत दी गई है। अभी कंपनी की जिम्मेदारी थी कि निदेशक से जीएसटी लेकर विभाग को दे, जिस पर काफी विवाद था। अब कंपनी के ऊपर से यह बाध्यता खत्म कर निदेशक के ऊपर कर दी गई है कि 20 लाख रुपये सालाना से ज्यादा आय होने पर खुद जीएसटी जमा करेगा।